न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 133/2022 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2022/139)

परसराम पुत्र श्री माधोलाल जाति माली निवासी मुरलीमनोहरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर ।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी महापुरा।
2. श्योनारायण पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी मुरलीमनोहरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।
3. इकबाल
4. इकराम
5. भूरा
6. इस्लाम
7. चंगु

पुत्रगण नाथू जाति मुसलमान निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

8. अनोखी वेवा नाथू
9. चैयरमैन आवंटन सलाहकार समिति जरिये एसडीओ सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 09.01.2020 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 15/2018 लक्ष्मीनारायण बनाम इकबाल।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पोडेन्टस।

निर्णय

दिनांकः– 23.07.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 09.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) सवाईमाधोपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 के पिता और रैस्पो0 संख्या 8 के पति स्व0 श्री नाथू पुत्र सुभान खां निवासी शिवाड, सवाई माधोपुर के हक में दिनांक 25.05.1973 को ग्राम मुरली मनोहरपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2571 में से 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन सलाहकार समिति उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा आवंटी नाथू के हक में किये गये उक्त आवंटन दिनांक 25.05.1973 के खिलाफ रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मीनारायण व 2 श्योनारायण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ

23.7.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2020 पारित करते हुये नियमानुसार आवंटन नहीं होना मानकर रैस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नाथु पुत्र सुभान खां (रैस्पो0 संख्या 3 लगायत 7 के पिता व रैस्पो0 8 के पति) को ग्राम मुरलीमनोहरपुरा में स्थिति भूमि खसरा नम्बर 2571 दिनांक 25.05.1973 को किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के उक्त आदेश दिनांक 09.01.2020 के खिलाफ अपीलान्ट की ओर से यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2020 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अदालत मातहत में नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवंटी की ओर से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने व आवंटित भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि होना बताकर दिनांक 25.05.1973 को किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध बताकर आवंटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया था। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में यह स्पष्ट किया गया था कि आवंटी द्वारा विवादित भूमि का आवंटन किये जाने के संबंध में भू आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र पर आवंटी के हस्ताक्षर के साथ–साथ गवाह के रूप में नारायण व मोहनलाल के हस्ताक्षर थे तथा आवंटन हेतु आवेदित भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज थी। पटवारी हल्का की ओर से आवेदन पत्र के कॉलम नं0 7 में जो रिपोर्ट की गई। उसमें भी आवंटन के बाद रास्ते में कोई अवरोध नहीं होना बताकर आवेदित भूमि आवंटन योग्य होना बताया, क्योंकि रास्ता 8 बीघा 11 विस्वा का बताया गया था। उक्त भूमि में से आवंटी द्वारा 2 बीघा भूमि आवंटित किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। आवंटी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर भू आवंटन सलाहकार समिति सवाई माधोपुर द्वारा तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 के पिता व 8 के पति नाथू को खसरा नंबर 2571 में से 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत में इस कानूनी बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नाथू को

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 25.05.1973 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन को निरस्त करवाये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की अवधि 30 दिवस ही थी। इसके बाबजूद रैस्पोडेन्टस की ओर से 45 वर्ष बाद आवंटन निरस्त कराने हेतु मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त आवंटन से किस प्रकार से प्रभावित हैं और न ही प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति हेतु सीपीसी की धारा 96 के तहत ही कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद संबंधी बिन्दु व रैस्पोडेन्टस को प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई लोकशेण्डाई नहीं होने के कारण इन बिन्दुओं पर ही रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलाधीन निर्णय में मियाद के संबंध में ही कोई उल्लेख किया और न ही यह उल्लेख किया कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त आवंटन से किस प्रकार से प्रभावित हैं। इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार मिलने के बाद राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 2018 पेज 479 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये तर्क दिया कि एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने के आधार पर आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। इसी तरह 2016(2) आर.आर.टी. पेज 884 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये तर्क दिया कि उक्त नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विवादित भूमि जिस पर आवंटी पूर्व से काबिज था यदि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है तो भी खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 निरस्तनीय होने का उल्लेख किया है, क्योंकि अपीलान्ट को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार काफी समय पूर्व प्राप्त हो चुके हैं।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उपरोक्त प्रकरण में तरतीवी रैस्पोडेन्ट इस्लाम, इकबाल, इकराम, भूरा, चंगु, अनोखी ने आराजी हाल खसरा नम्बर 149, 150, 163 अपीलान्ट को कीमतन बेच दिया था। विवादित भूमि पर विक्रय के पूर्व आवंटी व उसके वारिसान का तथा विक्रय के पश्चात अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में दावा किया हुआ है उक्त दावे का जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक सरसरी तौर पर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। इसके

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बाबजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय में 45 साल के पूर्व के आवंटन को गैर मुमकिन रास्ता मानते हुये दिनांक 25.05.1973 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि वक्त आवंटन पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की गई थी कि आवंटन हेतु आवेदित भूमि गैर मुमकिन रास्ता नहीं होकर, बारानी है। अदालत मातहत ने रैस्पोडेन्टस की ओर से नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज़ भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नियम 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस्टेण्डाई नहीं था। इसके बाबजूद भी अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने 2022 आर.बी.जे पेज 645 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया, जिसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कि न तो आवंटन से प्रभावित ही है और न ही पीडित पक्षकार ही है, के द्वारा नियम 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस नजीर में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटी के हक में भूमि पर खातेदारी अधिकार की घोषणा के विरूद्ध तीसरे पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को इस आधार पर पोषणीय नहीं माना गया, क्योंकि विवादित भूमि में अपीलान्ट के किसी प्रकार के हित निहित नहीं थे, इसलिए अपीलान्ट को अजनबी व्यक्ति व पीडित पक्षकार नहीं माना गया है। इसी तरह रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने के संबंध में आवंटन नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ सीपीसी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि आवश्यक था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नियम 14(4) संबंधी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर अपीलान्ट के हक में हुये आवंटन को नियम विरूद्ध निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि उक्त आवंटन भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलान्ट के हक में नियमानुसार किया गया था। उक्त तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 2016 आर.बी.जे. (23) पेज 319 व 379 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला दिया। उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर भूमि आवंटन सलाहकार समिति सवाई माधोपुर की ओर से ग्राम शिवाड़ के साविक खसरा नंबर 2571 रकबा 2 बीघा हाल खसरा नंबर 149, 150, 163 जिसका आवंटन दिनांक 25.05.1973 को किया गया था, को यथावत रखे जाने तथा अपीलान्ट के हक में जो नाथू के वारिसान से खरीद के बाद इन्द्राज हो रहे हैं, उन्हें बदस्तूर रखे जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट की ओर से की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये असल रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर

23.7.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2020 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 के पिता व 8 के पति नाथू को आवंटन सलाहकार समिति सवाई माधोपुर की ओर से दिनांक 25.05.1973 को खसरा नंबर 2571 में से आवंटित की गई 2 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ 1970 के नियम 14(4) के तहत विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलान्ट को भी सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया था। वकील अपीलान्ट की ओर से की गई यह आपत्ति कि रैस्पोडेन्ट को अपीलाधीन आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकसटण्डाई नहीं होने या मियाद बाहर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित किया गया आदेश नियम विरूद्ध है तो नाथू को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर गांव के प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित होने तथा उक्त भूमि रैस्पोडेन्टस के रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रयोग में लिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जहां तक मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है तो अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये आदेश पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस तरह के आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसलिए वकील अपीलान्ट की ओर से दिये गये दोनों तर्क उचित नहीं है।

वकील रैस्पोडेन्टस ने यह भी तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय में रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व अपीलान्ट के अभिभाषक की ओर से की गई बहस का उल्लेख करते हुये अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2036 से 2040 तक में उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता अंकित है। आवंटित भूमि के संबंध में तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार साविक खसरा नंबर 2571 के हाल खसरा नंबर 149, 150, 163 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त सारसोप से प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि 2571 से बने हाल खसरा नंबर पर अपीलान्ट या आवंटी का कब्जा नहीं होकर रैस्पोडेन्ट का कब्जा है। जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2036 से 2040 तक में उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि योग्य भूमि आवंटन नियम 1970 के अनुसार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां आवंटन योग्य नहीं माने जाने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु धारित भूमि माने जाने के कारण खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकने का उल्लेख किया है। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि आवंटन के समय नाथू को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता नहीं होकर सिवायचक

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

23.7.2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दर्ज हो। इस आधार पर यह उल्लेख करते हुये कि आवंटित भूमि के संबंध में 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है, परन्तु खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी ऐसी भूमि का आवंटन किया जाता है तो ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य की स्थिति में माने जाने व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व के नियमों की अवहेलना करते हुये किया गया है। इसलिए वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुये सम्पूर्ण रिकार्ड व तथ्यों का परीक्षण करने के बाद रैस्पोडेन्टस की ओर से नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पिता व 8 के पति नाथू के पक्ष में ग्राम मुरलीमनोहरपुरा में खसरा नंबर 2571 रकबा 2 बीघा के आवंटन दिनांक 25.05.1973 को निरस्त किया है, जो कि उचित है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 व राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत न तो गैर मुमकिन रास्ते की भूमि आवंटित की जा सकती है और न ही गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकार ही प्राप्त हो सकते हैं। इसी आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2020 के द्वारा नाथू के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 09.01.2020 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में नाथू पुत्र शुभान खां को ग्राम मुरलीमनोहरपुरा के खसरा नंबर 2571 में दिनांक 25.05.1973 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि आवंटी की ओर से आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र अपूर्ण होने, आवंटन नियम 8(3) का उल्लंघन होने, वक्त आवंटन कोरम पूरा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने व आवंटित भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि होने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन योग्य नहीं होने का उल्लेख किया गया था। इस प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि आवंटन आदेश की पालना में 10 वर्ष पश्चात दिनांक 17.01.1983 को गैर खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया तथा दिनांक 10.04.2000 को विरासत का नामान्तकरण तथा दिनांक 18.07.2000 को परशुराम के नाम नामान्तकरण खोला गया। जबकि उक्त आवंटन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी में आने व आवंटित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

23.7.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के खाता संख्या 1 में मार्ग व पगडण्डी की भूमि होने के कारण आवंटित नहीं किये जा सकने व आवंटित किये गये साविक खसरा नंबर 2571 के हाल खसरा नंबर 149, 150 व 163 कुल किता 3 रकबा 51 एयर बनने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था।

रैस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत किये गये नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की ओर से प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 18.09.2019 में यह उल्लेख किया गया कि साविक खसरा नंबर 2571 से हाल खसरा नंबर 149, 150 व 163 बने हैं, जो कि परसराम पुत्र माधोलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। आवंटी नाथू के वारिस 15–20 वर्ष से जयपुर निवास कर रहे हैं। खसरा नंबर 149 रकबा 0.09 है0 बारानी प्रथम व खसरा नंबर 150 रकबा 0.07 है0 बारानी प्रथम पर अर्जुन लाल पुत्र बद्रीलाल व खसरा नंबर 163 रकबा 0.35 है0 पर श्योनारायण, हनुमान पिसरान कन्हैयालाल हिस्सा 2/9 व बनवारी, मीठालाल, हरकेश, हरिराम, राजेश पिसरान लक्ष्मीनारायण हिस्सा 7/9 के कब्जेकाश्त में है। उक्त भूमि का मौका भू अभिलेख निरीक्षक सारसोप द्वारा ग्रामवासियान की उपस्थिति में देखे जाने व फर्द मौका रिपोर्ट पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर होने का भी उल्लेख किया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2020 को पारित किया है। जिसमें यह माना है कि जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2040 के अनुसार साविक खसरा नंबर 2571 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां आवंटन योग्य भूमि नहीं मानी गई है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु धारित भूमि है, जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इस आधार पर यह मानते हुये कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। अपीलान्ट जो कि अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट था, की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि आवंटन के समय आवंटित भूमि गैर मुमकिन रास्ता नहीं होकर शिवायचक दर्ज हो। उक्त निर्णय में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत की गई नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुये यह माना है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का आवंटन राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत नहीं किये जा सकने के कारण रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नाथू के हक में ग्राम मुरलीमनोहरपुरा के खसरा नंबर 2571 में किये गये आवंटन दिनांक 25.05.1973 को निरस्त किया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि आवंटी नाथू की ओर से आवंटन

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

23.7.2021

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में आवंटी के रूप में आवेदन नाथू के द्वारा तथा सत्यापन मोहनलाल के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आवंटन हेतु आवेदित भूमि खसरा नंबर 2571 रकबा 2 बीघा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता बारानी प्रथम दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई रिपोर्ट में भी आवेदित भूमि रास्ते की भूमि होने परन्तु रास्ते में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने का उल्लेख किया है। इस आधार पर सरपंच व उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.1973 को नाथू के हक में भूमि आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया है। आवंटन के पश्चात आवंटी के हक में खोले गये नामान्तकरण में भी विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इसके बाद आवंटी की गैर खातेदार से खातेदारी में व आवंटी की मृत्यु के बाद वारिसान की खातेदारी में तथा वारिसान की ओर से अपीलान्ट को विक्रय किये जाने के बाद विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है। जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2040 के अनुसार खसरा नंबर 2571/1 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा भूमि नाथू को आवंटित किये जाने का नोट अंकित है। साविक खसरा नंबर 2571 से हाल खसरा नंबर 158, 162 व 163 बनने की पुष्टि मिलान क्षेत्रफल से हो रही है। इससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी व सरपंच ग्राम पंचायत की ओर से आवंटी नाथू को जब दिनांक 25.05.1975 को खसरा नंबर 2571 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उस समय आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता थी तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को न तो राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटित किया जा सकता है और न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की खातेदारी ही दी जा सकती है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय के संबंध में प्रथम आपत्ति यह की गई है कि रैस्पोडेन्ट के द्वारा अदालत मातहत में मियाद बाहर अपील पेश किये जाने व अपीलाधीन आवंटन के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई लोकस्टैण्डाई नहीं होने तथा अदालत मातहत में सीपीसी की धारा 96 के तहत अपील पेश करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है तो इस संबंध में हमारा विनम्र अभिमत यह है कि अदालत मातहत की ओर से रैस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आवंटी के हक में किये गये आवंटन को इस आधार पर निरस्त किया है कि आवंटित की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन होने के कारण इस तरह की भूमि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आवंटित व खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय में यह भी माना है कि जो भूमि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अनुसार आवंटन योग्य नहीं है। ऐसी भूमि का आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य की स्थिति में माना जाता है। इसके अलावा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

23.7.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कलक्टर को उपखण्ड अधिकारी द्वारा (यह नियम 21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा) किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्या व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन के शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 व राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटित नहीं किये जा सकने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2020 के द्वारा तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या 8 के पति नाथू के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर यथा 2022 आर.बी.जे. (29) पेज 645, आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 318 व 379 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त कि किसी भी अजनबी व्यक्ति द्वारा अपील या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु सीपीसी की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त वर्णित नजीरों में वर्णित तथ्य व हस्तगत अपील में वर्णित तथ्य भिन्न–भिन्न होने के कारण हमारी विनम्र राय में उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है, क्योंकि विवादित भूमि जिसका आवंटन नाथू किया गया था कि किस्म वरवक्त आवंटन गैर मुमकिन रास्ता थी। जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा नाथू की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर की गई रिपोर्ट से हो रही है तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, के संबंध में आम नागरिक को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसके अलावा एक बार जब अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है तो उक्त बिन्दु के संबंध में अदालत हाजा के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में इस तरह की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 2018 पेज 479, आर.आर.टी 2016 (2) पेज 884 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद यह मानते हुये कि आवंटी द्वारा भूमि की काश्त नहीं की गई है, के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद काफी विलम्ब से आवंटन निरस्त किये जाने को उचित नहीं माना गया है तो उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उपरोक्त नजीरों में वर्णित तथ्य व हस्तगत अपील में वर्णित तथ्य भिन्न–भिन्न होने के कारण उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त हमारी विनम्र राय में

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपरोक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 के पिता व 8 के पति नाथू को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जिसकी न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी दी जा सकती है और न ही राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत आवंटित ही की जा सकती है। उपरोक्त प्रकरण में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का आवंटन व खातेदारी अधिकार दिया जाना स्पष्ट है। इस संबंध में 1998 (2) डी.एन.जे राजस्थान पेज 603 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित भूमि का न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही खातेदारी अधिकार ही प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह के आवंटन को अवैध माना गया है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2020 में उपरोक्त समस्त तथ्यों का हवाला देते हुये रैस्पोडेन्ट की ओर से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के पिता व रैस्पोडेन्ट संख्या 8 के पति नाथू को ग्राम मुरलीमनोहरपुरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 2571 में दिनांक 25.05.1973 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उचित प्रतीत होता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2020 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधेपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर